पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10248

==========

साहेबगंज प्रखंड मुखिया संघ, जिला मुजफ्फरपुर के माध्यम से इसके अध्यक्ष अवधेश कुमार (पुरुष), उम्र लगभग 48 वर्ष, पुत्र गणेश साह, निवासी ग्राम- बसंतपुर, पो. चैनपुर, थाना- साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।
7. प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री एस.बी.के. मंगलम, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए : श्री प्रेम रंजन राज, एसी से एससी-7

==========

- *भारत का संविधान---अनुच्छेद 243 पी, 243 जी, 11 वीं अनुसूची---ग्राम पंचायत अधिनियम---धारा 25(5), 25(6), 26(7)---ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता---राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती देने के लिए रिट याचिका जिसके तहत ग्राम पंचायत के कोष से राज्य के ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण और सौर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया था---याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों और उसकी स्वायत्तता को कम करना भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिनियम के विपरीत है---आगे तर्क यह है कि ग्राम पंचायतों को कल्याणकारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है और सरकार किसी भी उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायतों के धन के विचलन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती है---प्रतिवादियों ने यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि केवल गुणवत्तापूर्ण पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए यह निर्णय राज्य भर में एकरूपता लाने के लिए लिया गया है, जिससे केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली के माध्यम से जांच और संतुलन भी स्थापित होगा।*

- *निर्णय:- ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा **26 (7)** सरकार को समय-समय पर धन के उपयोग और व्यय के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार देती है, जो ग्राम पंचायत के लिए बाध्यकारी है। राज्य भर में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार का निर्णय किसी भी तरह से किसी ग्राम पंचायत की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करता है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्माण में एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखना है। जब राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है और विकास के पहिए में रोड़ा अटकाने वाली किसी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है, तो इससे बचा जाना चाहिए। राज्य की ग्राम पंचायतों में सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना से संबंधित चुनौती पर सुनवाई हुई और **2022** के सीडब्ल्यूजेसी संख्या **18566** में पारित दिनांक **03.11.2023** के आदेश के तहत एक समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। आदेश में कोई अवैधता नहीं है। रिट खारिज। **(पैरा 5, 14, 22-28)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय
सी.ए.वी निर्णय
दिनांक: 25-07-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस.बी.के. मंगलम और राज्य के स्थायी वकील संख्या 7 के विद्वान सहायक वकील श्री प्रेम रंजन राज को सुना ।

(ए) <u>प्रार्थना:</u>

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए प्रस्तुत की गई है::

> *(i) प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर से जारी तथा उसके ज्ञापन संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 में निहित दिनांक 03.05.2023 के आदेश के भाग को निरस्त करने के लिए प्रमाण-पत्र की प्रकृति में उपयुक्त रिट जारी करने के लिए तथा विशेष रूप से राज्य के शेष ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत की*

निधियों के विचलन के संबंध में निर्णय, जैसा कि उक्त आदेश के पैरा संख्या 5 (v) और 8 (v) में निहित है, इस आधार पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (d), धारा -2 (w) और बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (जिसे आगे ग्राम पंचायत अधिनियम कहा जाएगा) की धारा -26 (5) और (6) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के मद्देनजर, यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत निधि से ऐसी राशि खर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है, जैसा कि वह चाहती है। अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार उपयुक्त समझे, तो वह ग्राम पंचायत की निधि से राज्य की शेष ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है और उसे किसी अन्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध निधियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का भी अधिकार नहीं है।

(ii) प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर से जारी और उसके ज्ञापन संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 में निहित पत्र दिनांक 17.09.2021 को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने राज्य के ग्राम पंचायत में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए निर्देश जारी करने की कृपा की है और सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए एजेंसी का चयन करने की शक्ति बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में निहित है और आगे निर्देश दिया गया है कि सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए कुल लागत का 75% 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत द्वारा प्राप्त निधि से प्रबंधित किया जाएगा और शेष 25% राज्य वित्त आयोग की पंचायत की सिफारिश से प्राप्त निधि से प्रबंधित किया

जाएगा।

(iii) इस बात की घोषणा के लिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात् ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है तथा ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 26(5) के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक निधि बनाई गई है तथा ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 6 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को उक्त निधि से ऐसी राशि व्यय करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसे वह अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उचित समझे, कोई भी प्राधिकारी या यहां तक कि राज्य सरकार भी ग्राम पंचायत की निधियों को किसी अन्य प्रयोजन के लिए डायवर्ट करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती है तथा इसी प्रकार ग्राम पंचायत की निधियों को व्यय करने के लिए कोई प्राधिकारी नहीं बनाया जा सकता है।

(iv) परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करने के लिए, प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश देने और निर्देश देने के लिए कि वे ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दें, भारत के संविधान की अनुसूची - 11 के साथ सत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा उस पर बनाए गए अपने दायित्वों को पूरा करें, जो विस्तार से उन जिम्मेदारियों को प्रदान करता है जिन्हें पंचायत को अपने गठन के बाद उठाना होगा।

(v) याचिकाकर्ता आगे एक उचित रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करेगा, जो प्रतिवादी राज्य को भारत के संविधान और बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के

तहत ग्राम पंचायत की शक्ति और कार्य में हस्तक्षेप न करने और ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की एक जीवंत संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए बाध्य करेगा, जो कि सत्तर-तीसरे संविधान संशोधन का उद्देश्य और भावना थी।

(vi) एक उचित रिट जारी करने के लिए, जो प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश और निर्देश दे कि वे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार अपने फंड को खर्च करने की अनुमति दें और ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर कोई भी योजना शुरू करने के लिए मजबूर न करें जो ग्राम पंचायत की योजना नहीं है और इसे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, भले ही इसे ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत लागू किया जाना हो।

(बी) <u>तथ्य:</u>

3. मामला पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा राज्य भर में सोलर लाइट लगाने से संबंधित है। दिनांक 02.12.2022 को पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना के अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा कार्यालय ज्ञापांक 83 (आ.) दिनांक 02.12.2022 के अनुसार पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार 1,90,13,16,078/- (एक हजार नब्बे करोड़ तेरह लाख सोलह हजार अठहत्तर रुपये) की राशि जिलावार जारी की गई है, तथापि संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आवंटित राशि का आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है।

4. पुनः, राज्य सरकार ने प्रतिवादी संख्या 2, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 के माध्यम से एक और अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा 41,71,16,00,000.00/- रुपये की लागत से पूरे राज्य में 2000 पंचायत सरकार

भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, जिले में इसके कार्यान्वयन के लिए समिति का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जबकि राज्य स्तर पर इसकी निगरानी मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागीय सचिवों द्वारा की जाएगी।

(सी) याचिकाकर्ता का मामला:

5. याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों तथा उसकी स्वायत्तता में कटौती करना संविधान के अनुच्छेद-243 पी, अनुच्छेद-243 जी तथा ग्यारहवीं अनुसूची के प्रावधानों के विपरीत है, साथ ही ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 25(5) तथा 25(6) में निहित प्रावधानों के भी विपरीत है। दलील यह है कि यदि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, तो क्या ग्राम पंचायत निधि का उपयोग किया जा सकता है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि निर्णय लेते समय राज्य सरकार ने वस्तुतः ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता छीन ली है और इसे रद्द किया जाना उचित है।

7. याचिकाकर्ता ने अपना मामला बिहार पंचायती राज अधिनियम **(**जिसे अब से संक्षेप में 'अधिनियम' कहा जाएगा**)** की धारा **26** और **27** पर आधारित किया है**,** जो ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि से संबंधित है और इस प्रकार है**:**

> *"**26.** ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि - (1) ग्राम पंचायत को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटाने तथा अनुबंध करने की शक्ति होगी:*
>
> *बशर्ते कि ग्राम पंचायत द्वारा अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामलों में, उसे सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।*
>
> *(2) ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी संपत्ति, जो इस धारा में आगे निर्दिष्ट प्रकृति की है, केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य ग्राम पंचायत से*

संबंधित या उसके द्वारा रखी गई संपत्ति के अलावा, ग्राम पंचायत में निहित होगी और उसकी होगी, और किसी भी प्रकृति या प्रकार की अन्य सभी संपत्ति के साथ, जो ग्राम पंचायत में निहित हो सकती है, उसके निर्देशन, प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन होगी, अर्थात-

(क) सभी सामान्य संपत्तियां;

(ख) सभी सार्वजनिक सड़कें, जिनमें मिट्टी, पत्थर और अन्य सामग्री शामिल हैं, तथा सभी नालियाँ, पुल, पुलिया, पेड़, निर्माण सामग्री, उपकरण और ऐसी सड़कों के लिए उपलब्ध कराई गई अन्य चीजें शामिल हैं;

(ग) सभी सार्वजनिक चैनल, जलमार्ग, झरने, टैंक, घाट, जलाशय, कुएँ, जलसेतु, नलिकाएँ, सुरंगें, पाइप, पंप और अन्य जल कार्य चाहे वे ग्राम पंचायत की लागत से बनाए गए हों, बिछाए गए हों या बनाए गए हों या अन्यथा, और सभी पुल, भवन, इंजन, कार्य, सामग्री और उनसे जुड़ी या उनसे संबंधित चीजें और किसी भी सार्वजनिक टैंक से संबंधित कोई भी आसन्न भूमि (निजी संपत्ति नहीं):

बशर्ते कि उनसे जुड़ी या उनसे संबंधित जल पाइप और जल कार्य जो ग्राम पंचायत की सहमति से किसी भी मिल, कारखाने, उद्योग, कार्यशाला या इसी तरह के मालिकों द्वारा किसी भी गली में मुख्य रूप से उनके कर्मचारियों के उपयोग के लिए बिछाए गए हों या स्थापित किए गए हों, उन्हें जनता द्वारा उपयोग किए जाने के कारण सार्वजनिक जल कार्य नहीं माना जाएगा;

(डी) सभी सार्वजनिक सीवर और नालियां और सभी कार्य, सामग्री और चीजें उससे संबंधित और अन्य संरक्षण कार्य: बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए विस्तार

करना, गहरा करना या अन्यथा मरम्मत करना या ऐसे किसी सीवर या जल निकासी का रखरखाव करना उससे जुड़ी उपमृदा भी होगी ग्राम पंचायत में निहित माना जाएगा,

(ई) सभी सीवेज, कचरा और आपत्तिजनक सामग्री सड़कों पर जमा की गई या ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित किया गया सड़कें, शौचालय, मूत्रालय, सीवर, नाबदान और अन्य स्थान;

(च) सभी सार्वजनिक लैंप, लैंप-पोस्ट और उससे जुड़े उपकरण या उससे संबंधित; और

(छ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सभी भवन और सभी भूमि और भवन या संपत्ति जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई हो या स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपहार, खरीद या अन्यथा द्वारा अर्जित की गई हो।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी सड़क, पुल या नाली को इस अधिनियम या इस अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रभाव से बाहर कर सकती है: बशर्ते कि यदि कार्य के निर्माण की लागत ग्राम पंचायत निधि से भुगतान की गई हो, तो ऐसे कार्य को इस अधिनियम या इस अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रभाव से बाहर नहीं रखा जाएगा, सिवाय बैठक में ग्राम पंचायत के विचारों पर विचार किए जाने के।

(4) सरकार किसी ग्राम पंचायत को उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित कोई सार्वजनिक संपत्ति आवंटित कर सकती है और उसके बाद ऐसी संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित होगी और उसके नियंत्रण में आएगी।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम

पंचायत के नाम से एक ग्राम पंचायत निधि का गठन किया जाएगा और उसके खाते में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

(क) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किए गए अंशदान और अनुदान, यदि कोई हों;

(ख) जिला परिषद, पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो;

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण, यदि कोई हो;

(घ) उसके द्वारा लगाए गए करों, दरों और शुल्कों के खाते में सभी प्राप्तियां;

(ई) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित या उसके नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गए किसी भी स्कूल, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्थान या कार्यों के संबंध में सभी प्राप्तियां,

(एफ) उपहार या अंशदान के रूप में प्राप्त सभी राशियां और ग्राम पंचायत के पक्ष में किए गए किसी भी ट्रस्ट या बंदोबस्ती से सभी आय,

(जी) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाए गए और वसूल किए गए ऐसे जुर्माने और दंड जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और

(एच) ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य राशियां।

(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी राशि अलग रखेगी और प्रतिवर्ष उसका उपयोग करेगी जो उसे निम्नलिखित की पूर्ति के लिए आवश्यक हो-

(ए) अपने स्वयं के प्रशासन की लागत

जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन, भत्ता, भविष्य निधि और अनुदान का भुगतान शामिल है।

(बी) प्रत्येक ग्राम पंचायत को इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसी राशि खर्च करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे।

(ग) ग्राम पंचायत निधि ग्राम पंचायत में निहित होगी और निधि के खाते में शेष राशि ऐसी अभिरक्षा में रखी जाएगी जैसा कि विहित किया जाए।

27. ग्राम पंचायत द्वारा कराधान.- *(1) इस संबंध में बनाए जा सकने वाले नियमों और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दरों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष निम्नलिखित शुल्क और दरें लगा सकती है -*

(क) जोतों के अधिभोगियों पर कर;

(ख) अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किए जाने वाले व्यवसायों, व्यापारों, व्यवसायों और रोजगारों पर ऐसे व्यवसायों, व्यापारों, व्यवसायों और रोजगारों से अर्जित कुल वार्षिक आय के आधार पर कर।

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति कर (सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक जोतों पर कर) लगा सकती है।

(2) सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत निम्नलिखित शुल्क और दरें वसूल सकती है, अर्थात् -

(क) उन वाहनों के पंजीकरण पर शुल्क जो उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं;

(ख) सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर तीर्थ, हाट, मेला और सार्वजनिक उपयोग के ऐसे स्थानों पर स्वच्छता

व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शुल्क;

(ग) जल दर, जहां पेयजल, सिंचाई या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से उसके अधिकार क्षेत्र में की जाती है;

(घ) प्रकाश शुल्क, जहां सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से उसके अधिकार क्षेत्र में की जाती है;

(ङ) सफाई दर, जहां निजी शौचालयों, मूत्रालयों और गटर की सफाई की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से उसके अधिकार क्षेत्र में की जाती है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि 'अधिनियम' की धारा 26(5) के अवलोकन से पता चलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान और अनुदान ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए जिसका उपयोग ग्राम पंचायत को कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए करना है। उनका कहना है कि 'अधिनियम' की धारा 26(5) और (6) ग्राम पंचायत को कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए अपनी इच्छानुसार धन खर्च करने की शक्ति प्रदान करती है और राज्य सरकार इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

9. आगे दलील यह है कि शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार पटना (प्रतिवादी संख्या 2) के हस्ताक्षर से बिहार राज्य के भीतर 2000 'पंचायत सरकार भवनों' के निर्माण के लिए अधिसूचना संख्या 488 दिनांक 03.05.2023 (अनुलग्नक पी/7) जारी की। उनकी दलील है कि सरकार किसी भी उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायतों के फंड के विचलन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि यह एक स्थानीय स्वशासन है जिसे भारत के संविधान में 73 वें संशोधन के तहत जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को किसी भी ऐसी योजना को शुरू करने के लिए मजबूर करने से रोके, जिसे उसने मंजूरी नहीं दी है। इस प्रकार उन्होंने दलील दी कि रिट आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए।

(डी) <u>प्रतिवादियों का रुख:</u>

10. विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा बताए गए अनुसार राज्य का पक्ष यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(जी) के अनुसार पंचायत की स्वायत्त शासन संस्था के रूप में कार्य करने की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के साथ-साथ उक्त क्षेत्र के लोगों के कल्याण के एकमात्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए।

11. उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए धन का आवंटन किसी भी तरह से ग्राम पंचायतों की शक्ति का अतिक्रमण नहीं माना जा सकता।

12. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे कहा कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है और इसे रोकने तथा राज्य भर में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ऊपर वर्णित तरीके से किया जाए।

13. उन्होंने आगे कहा कि इससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण पंचायत सरकार भवन बनाने की अनुमति भी मिलेगी। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दोहराया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने से किसी भी तरह से ग्राम पंचायत और स्थानीय पदाधिकारियों की शक्ति में कटौती नहीं होती है। राज्य प्रतिवादियों की सराहना करने और उनका सहयोग करने के बजाय, वे अब इसे चुनौती देने के लिए न्यायालय में आ रहे हैं।

14. विद्वान अधिवक्ता ने दोहराया कि केवल गुणवत्तापूर्ण पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और पूरे राज्य में एकरूपता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिससे केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के माध्यम से जांच और संतुलन भी स्थापित होगा। इसलिए वह रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

(ई) <u>निष्कर्ष:</u>

15. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4881 दिनांक

03.05.2023 से व्यथित होने के अलावा, याचिकाकर्ता उसी प्राधिकारी यानी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 को भी रद्द करना चाहता था, जिसके द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया था।

16. सीवान जिला मुखिया संघ ने पहले **सीवान जिला मुखिया संघ** के तहत **सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18566/2022** में अपने अध्यक्ष **अजय भास्कर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के माध्यम से इसी प्रार्थना के साथ आवेदन किया था, अर्थात सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना से संबंधित ज्ञापन संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 को रद्द करने के लिए।

17. इस मामले की सुनवाई समन्वय पीठ द्वारा की गई, जिसने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18566/2022 में दिनांक 03.11.2023 को पारित आदेश के माध्यम से उक्त मुद्दे पर चर्चा की और उसके बाद रिट याचिका का निपटारा किया। आदेश के पैराग्राफ संख्या 24 से 27 को शामिल करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> *24. यद्यपि यह न्यायालय याचिकाकर्ता के निवेदन को पंचायतों पर अत्यधिक लगाए गए कुछ प्रतिबंधों की सीमा तक विचारणीय मानता है, जैसे कि डीपीआरओ को आहरण एवं व्ययन अधिकारी बनाना, लेकिन इसे ग्राम पंचायत की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता, यदि राज्य ने सौर योजना के कार्यान्वयन के पिछले दौर में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन की चोरी को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण यह पूरी तरह विफल हो गई थी, केवल ग्राम पंचायत के लिए बनाई गई योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ जांच और संतुलन स्थापित किया है।*
>
> *25. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सभी सरकारी गतिविधियों में कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने उन्हें संविधान की सीमाओं के*

भीतर रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है। हालांकि, ज्ञापन संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 में निहित विवादित पत्र को पढ़ने के बाद, जिसमें स्थान का चयन करने के लिए WIMC को शक्ति सौंपी गई है और विभिन्न जिलों के लिए सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए BREDA को शक्ति दी गई है, साथ ही निधियों का प्रबंधन किसी भी तरह की मनमानी और अवैधता से ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा, यह न्यायालय आगे पाता है कि विकास योजना (सौर प्रकाश योजना की स्थापना) को पूरा करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई संशोधन अधिनियम, के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप है।

26. हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

27. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

18. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना पहले ही खारिज हो चुकी है और उसे और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता अब अपने मामले को संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 तक सीमित रखता है जो बिहार राज्य में 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण से संबंधित है जिसके लिए राज्य सरकार ने 41,71,16,00,000.00/- रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है।

19. राज्य सरकार ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि का चयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। पूरे बिहार राज्य में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और इसमें जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला अभियंता और जिला पंचायत राज पदाधिकारी शामिल थे, जबकि राज्य स्तर पर इसका मूल्यांकन विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव के अलावा संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के नामित व्यक्ति द्वारा किया जाना था।

20. इस स्तर पर यह न्यायालय 'अधिनियम' की धारा 26(7) को शामिल करना चाहेगा जो इस प्रकार है:

> ***26(7)- "ग्राम पंचायत क्षेत्र के समतापूर्ण विकास के लिए, सरकार ग्राम पंचायत निधि से धन के उपयोग और व्यय के संबंध में समय-समय पर ग्राम पंचायत को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगी और ऐसे निर्देश ग्राम पंचायत पर बाध्यकारी होंगे।"***

21. अधिनियम की धारा 26 के उपर्युक्त खंड 7 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार ग्राम पंचायत को आवश्यक निर्देश जारी करने में सक्षम है, जिसे संबंधित ग्राम पंचायत पर बाध्यकारी बनाया गया है।

22. यह सही है कि 'अधिनियम' की धारा 26(5) ग्राम पंचायतों को राशि प्राप्त करने और पंचायत द्वारा की गई मंजूरी के अनुसार उसका उपयोग करने की अनुमति देती है। हालांकि, 'अधिनियम' की धारा 26(7) सरकार को समय-समय पर धन के उपयोग और व्यय के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति भी देती है, जो किसी भी मामले में ग्राम पंचायतों के लिए बाध्यकारी है।

23. फिर भी, यह सच है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243, जो पंचायतों से संबंधित है और जिसे वर्ष 1992 में 73वें संशोधन के माध्यम से लाया गया है, ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच और संतुलन नहीं बना सकती है कि गाँव स्तर तक जाने वाले धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए उचित तरीके से किया जाए।

24. इस मामले में राज्य भर में 2000 पंचायत सरकार भवन बनाने का फैसला लिया गया है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। वे एक उचित पंचायत सरकार भवन चाहते हैं जिसका इस्तेमाल बहुउद्देश्यीय भवन के रूप में किया जा सके और जिसमें ग्राम कचहरी का कोर्ट रूम, स्वागत कक्ष, कर्मचारियों के लिए आवासीय ब्लॉक, कम्प्यूटरीकृत केंद्र, पेंट्री और वाश रूम भी शामिल हों।

25. उक्त पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरे राज्य में किया जा रहा है और इस पृष्ठभूमि में निर्माण में एकरूपता बनाए रखने तथा निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंद्रीय निगरानी/वित्तपोषण/एजेंसी का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

26. जैसा कि विद्वान राज्य वकील ने बताया है, इससे न केवल निधि के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, बल्कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग की संभावना पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा।

27. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उचित निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें जिले के अधिकारी शामिल हैं, जिनका आगे मूल्यांकन विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों द्वारा किया जाएगा, जिसमें विभाग के प्रभारी माननीय मंत्री का एक नामित व्यक्ति भी शामिल होगा।

28. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय मानता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय किसी भी तरह से किसी भी ग्राम पंचायत की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करता है, जो किसी भी मामले में 'अधिनियम' की धारा 26(7) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। जब राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है और कोई दुर्भावना नहीं जताई गई है, तो न्यायालय की राय में विकास के पहियों में रोड़ा अटकाने से बचना चाहिए। याचिकाकर्ता उक्त आदेश में किसी भी अवैधता को इंगित करने में विफल रहा है।

29. रिट याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

जगदीश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।